गृह मंत्रालय

मांग संख्या 48

गृह मंत्रालय का अन्य व्यय

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2001-2002 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2002-2003 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		8.50	410.00	418.50	8.50	320.00	328.50	...	466.98	466.98
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**8.50**	**410.00**	**418.50**	**8.50**	**320.00**	**328.50**	**...**	**466.98**	**466.98**
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण										
पुनर्वास										
1. श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास	2235	...	0.10	0.10	...	0.11	0.11	...	0.11	0.11
	3601	...	25.00	25.00	...	20.94	20.94	...	25.00	25.00
	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*25.10*	*25.10*	*...*	*21.05*	*21.05*	*...*	*25.11*	*25.11*
2. जम्मू और कश्मीर के विस्थापितों को राहत और पुनर्वास	3601	...	...	...	...	...	...	...	127.00	127.00
3. अन्य देशों से स्वदेश लौटे व्यक्ति	2235	...	16.06	16.06	...	2.06	2.06	...	10.06	10.06
	3601	...	2.05	2.05	...	2.00	2.00	...	1.80	1.80
	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	7601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*18.11*	*18.11*	*...*	*4.06*	*4.06*	*...*	*11.86*	*11.86*
4. अन्य पुनर्वास कार्यक्रम	2235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	...	19.50	19.50	...	18.00	18.00	...	18.00	18.00
	4235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	6235	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*...*	*19.50*	*19.50*	*...*	*18.00*	*18.00*	*...*	*18.00*	*18.00*
जोड़-पुनर्वास		**...**	**62.71**	**62.71**	**...**	**43.11**	**43.11**	**...**	**181.97**	**181.97**
5. स्वतन्त्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ										
5.01 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजनाएं	2235	...	214.55	214.55	...	200.05	200.05	...	200.05	200.05
5.02 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास	2235	...	55.00	55.00	...	50.00	50.00	...	55.00	55.00
जोड़		**...**	**269.55**	**269.55**	**...**	**250.05**	**250.05**	**...**	**255.05**	**255.05**
जेलें										
6. जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण	2056	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	3601	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	...	0.27	0.27
	जोड़	*7.00*	*...*	*7.00*	*7.00*	*...*	*7.00*	*...*	*0.27*	*0.27*
नागर विमानन										
7. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता	3053	...	10.00	10.00	...	15.00	15.00	...	14.00	14.00
सड़कें और पुल										
8. जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	46.00	46.00	...	2.00	2.00	...	2.00	2.00
9. दिल्ली के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज राहत योजना	3475	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
10. अन्य मदें	2056	...	0.15	0.15	...	0.25	0.25	...	0.25	0.25
	2070	...	10.01	10.01	...	7.01	7.01	...	12.01	12.01
	2075	...	10.17	10.17	...	0.16	0.16	...	0.17	0.17
	2205	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	2250	1.50	1.16	2.66	1.50	0.67	2.17	...	1.01	1.01
	2552	...	...	...	...	1.50	1.50	...	...	...
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*1.50*	*21.49*	*22.99*	*1.50*	*9.59*	*11.09*	*...*	*13.44*	*13.44*
कुल जोड़		***8.50***	***410.00***	***418.50***	***8.50***	***320.00***	***328.50***	***...***	***466.98***	***466.98***

(करोड़ रुपए)

ग.	आयोजना परिव्यय*	विकास शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
			बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1.	जेलें	32056	7.00	...	7.00	7.00	...	7.00	...	...	...
2.	अन्य सामाजिक सेवाएं	22250	1.50	...	1.50	1.50	...	1.50	...	...	...
जोड़			**8.50**	**...**	**8.50**	**8.50**	**...**	**8.50**	**...**	**...**	**...**

पुनर्वास :

1. **श्रीलंका से स्वदेश लौटे व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास** : भारत-श्रीलंका करार के अन्तर्गत, श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों को जिन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की गयी है, भारत को प्रत्यावर्तित किया जाना है तथा उन्हे राहत और पुनर्वास सहायता प्रदान की जानी है। यह बजट प्रावधान इन प्रत्यावर्तित लोगों को राहत तथा पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराने तथा अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यावर्तित सहकारी वित्त विकास बैंक से ऋण प्रदान करने और प्रत्यावर्तित लोगों के पुनर्वास कार्य में लगी राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को ऋण और अग्रिम राशि उपलब्धि कराने के लिए है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत रखी गयी मुख्य राशि का उपयोग श्रीलंका से आए उन शरणार्थियों को राहत सहायता उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा जो शिविरों में रह रहे हैं, साथ ही इसमें स्टाफ व्यय के लिए भी व्यवस्था की गयी है।

2. **जम्मू और कश्मीर के आप्रवासियों को राहत और पुनर्वासः** यह व्यय जो पहले सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत गृह मंत्रालय की अनुदान संख्या-47-पुलिस में शामिल किया गया था, बेहतर नियंत्रण हेतु अब इस अनुदान को अंतरित कर दिया गया है। ये निधियां कश्मीर आप्रवासियों और जम्मू और कश्मीर में सीमा से आए आप्रवासियों को राहत देने, आंतकवादी हमलों/सीमा पार से हुई फायरिंग में मारे गए गांव रक्षा समितियों के सदस्यों, नागरिकों, केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक कार्मिकों के निकटतम संबंधियों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की जम्मू और कश्मीर सरकार को की जाने वाली प्रतिपूर्ति के लिए हैं। इस निधि का उपयोग कश्मीरी आप्रवासियों के पुनर्वास, नियंत्रण रेखा के पास बसे गाँवों को हटाने, जम्मू और कश्मीर में विधवाओं और अनाथों के पुनर्वास, अन्य राहत उपायों और समर्पण नीति इत्यादि के लिए भी किया जाता है।

3. **अन्य देशों से वापस आने वाले व्यक्ति** : इसके अन्तर्गत बर्मा, तिब्बत, भूतपूर्व पश्चिमी तथा पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के संबंध में व्यय की व्यवस्था शामिल है। यह योजना भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के लिए भूमि-अधिग्रहण और अधिकार-पत्र वितरण से सम्बन्धित है।

4. **अन्य पुनर्वास कार्यक्रम** : इसमें 1971 के भारत-पाक युद्ध से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता देने तथा उनके पुनर्वास और अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यो के लिए व्यवस्था शामिल है। इसमें रिआंग शरणार्थियों तथा बोडो-संथाल संघर्ष में घायल हुए पीड़ितों को राहत प्रदान करने तथा उनके पुनर्वास की भी व्यवस्था है।

5. **स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन तथा अन्य लाभ** : वर्ष 1972 में शुरू की गई स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना को समय-समय पर और उदार बनाया गया है। इस योजना के अन्तर्गत, भूतपूर्व अंडमान राजनीतिक कैदियों, स्वतंत्रता सेनानियों तथा उनके आश्रितों के लिए पेंशन प्रदान की जाती है।

6. **जेल प्रशासन का आधुनिकीकरण** : इस योजना के अन्तर्गत, जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान, उनके द्वारा किए जाने वाले समनुरूप अंशदान के आधार पर प्रदान किया गया है।

7. **उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता** : इसमें उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में हेलिकॉप्टर सेवाएं प्रदान करने के लिए आर्थिक सहायता के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

8. **जम्मू और कश्मीर में कर्जदारों के लिए कर्ज राहत योजना** : इसमें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रूप में जम्मू और कश्मीर के कर्जदारों के लिए कर्ज से राहत प्रदान करने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत, व्यापार, पर्यटन, परिवहन और लघु उद्योग में लगे सभी कर्जदारों के पक्ष में 30 जून, 1996 की स्थिति के अनुसार 50,000 रु. से कम अथवा 50,000 रु. तक के बकाया ऋणों को बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

9. **दिल्ली के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज राहत योजनाः** इसमें आर्थिक पैकेज के एक भाग के रुप में 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए कर्ज से राहत प्रदान करने की व्यवस्था शामिल है। इस योजना के अन्तर्गत, सभी व्यक्तियों के ऋण प्रदान किए जाने के समय के 50,000 रु. राशि सहित और इसी राशि तक के बकाया ऋणों को बकाया ब्याज सहित बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

10. **अन्य मदें** : इसमें जागीरों के एवज में पेंशन, राष्ट्रीय एकता योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में सिविल कार्रवाई कार्यक्रम के लिए रक्षा मंत्रालय को व्यय की प्रतिपूर्ति करने, राष्ट्रीय पहचान पत्र योजना, उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में विज्ञापन तथा प्रचार आदि की व्यवस्था है।